

17-24 hrs.

RESOLUTION RE WELFARE OF
CONSTRUCTION WORKERS

SHRI M. M. LAWRENCE
(Idukki): Sir, I beg to move the
following:

"This House takes serious note of the pitiable condition of the construction workers who are subjected to exploitation by construction contractors and recommends to the Government to take immediate steps for safeguarding their interests."

Sir, the conditions of these workers are miserable and shocking: there is no security of employment. As soon as the contract ends or as soon as the work is complete, the workers are mercilessly thrown out of jobs and most of the workers have to go back to their States and they do not have any permanent residence. With them, they carry their family also. And they live in unhygienic conditions; they live in shanties which cannot be called a home. They never get a chance to send their children to schools. They bring up a new generation of illiterate working force for the exploitation by the contractors and other exploiters of our country. Their children begin work for their livelihood. The construction industry is mostly in the hands of the private contractors. And they never care for the child labour. They work from dusk to dawn. The contractors get the contracts by giving heavy bribes to the officials, who protect their illegal acts? In no other industry the money can be minted like anything as in contracts. Many contractors have become millionaires in a short span of time. These unscrupulous contractors stoop to any level to amass ill-gotten wealth by paying low wages to the workers. In several States the workers are still being paid only Rs. 6 to 7 per day. They are not given overtime wages. They

are not provided with retirement facilities. Those who meet with accidents in the course of employment are not provided with compensation. Very often the contractors procure services of the workers through their sub-contractors or labour contractors. These labour contractors are taking considerable portion of the wages due to the workers for themselves. The construction workers are treated very often just like chattels reminding us of the system of slavery. The Government of India has started public sector units on the plea of departmentalising the construction work. Hindustan Steel Construction company was started with great fanfare and publicity. Now, however, this company has become a hunting ground for the contractors. The company has about 20,000 regular employees but the contractors under the company employ more than 50,000 workers.....

MR. CHAIRMAN: Mr. Lawrence, you may resume your speech next time. Now, the House will take up Half-an-Hour discussion.

17-30 hrs.

HALF AN HOUR DISCUSSION

LIFE SAVING DRUGS

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) :
समापति महोदय, आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और सदन में कई बार इस पर चर्चा हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी समस्या का निदान नहीं हो पाया है। पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाय तो समस्या और जटिल हो होती जा रही है। अभी कुछ दिन पहले 15 तारीख को एक प्रश्न के जवाब में मंत्री महोदय ने बताया है कि

पिछले छः माह में पिछले वर्ष की तुलना में जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं उनके उत्पादन में कमी आई है। कमी की मात्रा 6 परसेंट से लेकर 98 प्रतिशत तक बढ़ी है। जिस मूल प्रश्न के उत्तर के ऊपर यह डिस्कशन हो रहा है उस में मंत्री महोदय ने बतलाया है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की कमी नहीं है। उन्होंने कहा है —

It can be said that in general there is no scarcity of life-saving drugs in the country.

लेकिन हकीकत यह है, भले ही आप के हास्पिटल में स्टॉक में वह दवाइयां पड़ी हुई हों, रोगियों को वह दवाइयां नहीं मिल रही हैं। उस में बहुत सारी ऐसी दवाइयां हैं जिनकी लिस्ट मेरे पास है—स्ट्रेप्टोमाइसिन, पेरल डाइन, आइसोवेन्जाइल फोर्टे, पास ग्रेन्युल, आइसोनायज़ीड, ये गोलियां और एंटी वायटिक्स में ग्रीसोफुलविन, कारबेसलीन, क्लोरमफेनिकाल, एंटी-कैंसर की दवाई—माइलोरन, एंटी मलेरिया-क्लोरोक्वीन, हार्ट अटैक की दवा-सार वी टेट, तथा मिरगी की दवा डिलेन्टीन रोडियम कैप्सूल, ये सब दवाइयां पैसा देने पर भी मार्केट में नहीं मिलती हैं। इसलिए यह कहना कि दवाई की कमी नहीं है, गलत है। दवाई की कमी है।

अब रास्ता आपको निकालना है कि कैसे आप इस को पूरा करेंगे। उत्पादन का ब्योरा मैं आपको देता हूं कि उत्पादन कितना है। एक दवा है क्लोरमफेनिकाल, उसकी आवश्यकता 210 टन की है और मंत्री महोदय ने अपने 15 दिसम्बर 1981 के जवाब में कहा है कि सरकार के मुताबिक इसका उत्पादन अभी तक 74.85 टन हो रहा है। आवश्यकता है 210 टन

की और उत्पादन है 74.85 टन का हालांकि यह भी इनकी फिगर सही नहीं है। दिक्कत क्या है कि जो प्रश्न इनसे पूछा गया था वह बेसिक स्टेज से कितना उत्पादन होता है, यह पूछा गया था लेकिन बेसिक स्टेज से उत्पादन यह नहीं है। बेसिक स्टेज से उत्पादन मुश्किल से मैं समझता हूं कि 30 टन के करीब होगा। है क्या कि एल बेस और बेसिक स्टेज दोनों को मिला कर यह फिगर जोड़ दी गई है। सब से बड़ी दिक्कत यह होती है कि हम इसके एक्सपर्ट तो हैं नहीं, पता नहीं वह शायद होंगे, लेकिन इसमें कठिनाई सब से बड़ी इसके अन्दर चलने वाली धांधली की है क्योंकि यह ऐसी चीज तो है नहीं कि हम लोग इसको समझ लें। हमारी नोजेज में एक बात यह आई है कि जो लाइसेंस आप देते हैं वह बेसिक स्टेज का देते हैं लेकिन वह बेसिक स्टेज पर नहीं करके वह बिचोसिया का जो सिस्टम होता है, इन्टरमीडियरी का, जो एल बेस में होता है उसी से वह सामान अपना खरीद लेते हैं और उसके बाद नतीजा क्या होता है—एक तरफ तो आपके मल्टी-नेशनल्स हैं, एक तरफ स्माल स्केल इन्डस्ट्री है। स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज में बहुतायत मात्रा में उसका उत्पादन हो सकता है लेकिन उसमें दिक्कत क्या है कि स्माल स्केल इन्डस्ट्री पर एल बेस के ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा दी है। अब जो कस्टम ड्यूटी की मात्रा बढ़ी है उसके कारण क्या होगा कि जो स्माल स्केल इन्डस्ट्री है वह मारी जायगी। जब स्माल स्केल इन्डस्ट्री मरेगी तो जो इनकी मल्टी नेशनल कम्पनी है उस की मोनोपोली होगी। ये दोनों चीजें, मंत्री महोदय, जब तक आप खरम नहीं करेंगे, काम नहीं चलेगा। मैं आपको मल्टी-नेशनल की गड़बड़ के बारे में बतलाता हूं। इनका एक “सी० पी० सी०” है। इसका जो “सी” अक्षर

[श्री राम विलास पासवान]

है इसका मतलब लोग करण्ड रखते हैं। इनका जो काम चल रहा है उसका मेरे पास एक उदाहरण है। स्माल स्केल इंडस्ट्री ने जो चीज 52 डालर प्रति किलो में खरीदा, उसी को इनका सी० पी० सी० 70 डालर में खरीदता है। जब इस भाव में लेने वाला कोई नहीं मिलता तो उसको छुपाने के लिए क्या करते हैं कि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा देते हैं। कस्टम ड्यूटी लगाने से जो स्माल स्केल इंडस्ट्री वाले हैं वे उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते, इसलिए वे मारे जायेंगे और नतीजा क्या होगा कि मल्टी नेशनल की जो मोनोपोली है वह बरकरार रह जायगी और इस तरह से सरकारी महकमा तथा उन लोगों की गड़बड़ बराबर चलती रहेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मंत्री महोदय जब जवाब दें तो हमें बतायें कि इसमें कस्टम ड्यूटी का क्या मतलब है।

मैं एक जगह मंत्री जी का जवाब पढ़ रहा था—उन्होंने कहा है कि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज पर लगाने से बेसिक स्टेज को प्रोत्साहन मिलेगा। कैसे मिलेगा? इस तरह से तो एक तरफ स्माल स्केल इंडस्ट्री कम्पीटीशन में नहीं आ सकेगा और दूसरी तरफ मल्टी नेशनल की गड़बड़ चलती रहेगी।

हमारे यहां कौन-सी दवाइयाँ मिलावट वाली मिलती हैं और कौन-सी दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पर दूसरे देशों में प्रतिबन्ध लगा हुआ है लेकिन हमारे यहां खूब चलती हैं—ये कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिनका सम्बन्ध स्वास्थ्य मंत्रालय से होगा और आप कह देंगे कि इनके लिये हमारी जवाबदेही नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन का मामला है, जब तक आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ायेंगे लोगों को वे

दवाइयाँ कैसे सुलभ होंगी? आप मुफ्त दवाइयों की व्यवस्था न कर सकें, तो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि सस्ते दर पर लोगों को दवाइयाँ मिल सकें, जो जीवन-रक्षक दवाइयाँ हैं कम से कम उन को तो हम लोगों तक पहुँचा सकें, चाहे किसी भी कीमत पर मिलें लेकिन उनकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। इसलिये मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि यह जो आपकी सी०पी०सी० की व्यवस्था है — ठीक नहीं है। एक जगह आपने जवाब में कहा है कि क्या करें, आई०डी०आर० में हमारे पास कोई अधिकार नहीं है जिससे उसको दण्डित कर सकें। आपके पास यदि कोई अधिकार नहीं है तो एकट में संशोधन करवाइये, लेकिन जिसको लाइसेंस देते हैं, प्रोडक्शन के लिये लाइसेंस देते हैं तो उनसे वह काम लेना चाहिये।

इस पर सदन में पहले ही काफी चर्चा हो चुकी है, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि आप सबसे पहले प्रोडक्शन को बढ़ावाइये, जो कम्पीटीशन का मामला है, उसमें जो छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे हैं आप उनका सहयोग लें, वे आपको कम से कम दाम में दवाइयों का उत्पादन कर के दे सकते हैं, बशर्तकि जो हमारा सरकारी महकमा है, उसमें जो बोग बने हुए हैं वे भी स्माल स्केल इंडस्ट्रीज के साथ हों तथा मल्टी नेशनल के साथ जो उनका मोह बना हुआ है उस मोह को थोड़ा कम करें, तब यह निश्चित रूप से फायदेमन्द साबित हो सकता है।

दवाइयाँ तब तक उपलब्ध नहीं होंगी जब तक प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगी, इसके लिये आप कह देंगे कि यह स्टेट का मामला है, हम उसमें कहां तक जा सकते हैं, किस जिले के

हैडक्वार्टर में दवाइयां हैं, किस में नहीं हैं। लेकिन, सभापति महोदय, हम को तो जिले के हैड क्वार्टर में जाना पड़ता है। आप दूर मत जाइये, नार्थ एवेन्यू और साउथ एवेन्यू में आप की डिस्पेंसरीज हैं वहां ही बहुत सी दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं। मैं पिछली बार काल-एटेंशन पर बोल रहा था, मैंने वह जाली दिखलाई थी जो पानी को चढ़ाती है। मैं अपनी कांस्टीचूएन्सी में घूम रहा था, मैंने देखा कि एक आदमी का पानी चढ़ाया जा रहा था। पानी चढ़ाने के बाद यदि वह दो महीने में मरता, लेकिन उस तरह से तो वह दो ही दिन में कोलेप्स कर जाएगा। इसलिए मैं आप से जानना चाहूंगा कि यह जो उत्पादन में कमी आ रही है, तो उसका क्या कारण है और दूसरा यह कि सस्ती दर पर दवाइयों का उत्पादन हो ताकि लोगों को दवाइयां कम दाम पर मिल सकें, लाइफ-सेविंग ड्रग्स लोगों को मिल सकें, इस के लिए सरकार क्या करने जा रही है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : चेयरमैन साहब, मैं पासवान जी की बात को बहुत ठीक मानता हूं। उन्होंने जो यह कहा है कि दवाइयों का उत्पादन मुल्क में बहुत ज्यादा होना चाहिए, तो जब हम दवाइयों के उत्पादन की तरफ देखते हैं, हमें यह देखना चाहिए कि हम कहाँ से चले थे और आज कहाँ पर हैं। 1947 के अन्दर अगर हम जाएं, इन्डिपेंडेंस के दिनों में जाएं और आज को हम देखें, तो 1947 के अन्दर सारी फार्मैस्यूटिकल इण्डस्ट्री का उत्पादन सिर्फ 10 करोड़ रुपये का था और आज की फीगर्स को हम देखें, तो सारी बल्क ड्रग्स का उत्पादन 240 करोड़ का है और फार्मै-लेशन्स को अगर आप लें, तो वह 1200

करोड़ का है। तो आप यह देखें कि हम कहां से चल कर यहां तक बढ़े हैं। उत्पादन पर गवर्नमेंट की पूरी नजर है और इस को बढ़ावा देने के लिए सरकार पूरे प्रयत्न कर रही है। चाहे वह प्राइस का मामला हो, चाहे वह एक्सपेंशन का मामला हो और चाहे वह लाइसेंस देने का मामला हो, उसके लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है। हमने बहुत से लाइसेंस दिये हैं और अगर आप फीगर्स चाहें, तो वह भी मैं दे सकता हूं।

तो आज जिस जगह पर हम खड़े हैं, उस से हम यह नहीं कह सकते कि दवाइयों के उत्पादन में कोई कमी आई है। हम इसको आगे ले जा रहे हैं और यह कहना सही नहीं होगा कि हमारा इस तरफ कोई ध्यान नहीं है और दवाइयों का प्रोडक्शन कम हो रहा है।

होस्पिटल्स की इन्होंने बात की है। होस्पिटल्स के अन्दर दवाइयों के न होने की बात इन्होंने कही। इस में एक और बात है और वह यह है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर मार्केट में दवाई हो तो होस्पिटल्स में भी हो। होस्पिटल्स के अन्दर, डिस्पेंसरीज के अन्दर दवाइयों को लेने का एक तरीका है। वे इन्डेंट करते हैं और दवाइयों को प्रोक्योर करते हैं। मार्केट के अन्दर अगर दवाई उपलब्ध है, तो वे ले सकते हैं। यह हो सकता है कि मार्केट के अन्दर दवाई हो और होस्पिटल के अन्दर, डिस्पेंसरीज के अन्दर न हो और इस का जो इन्तजाम है, वह हेल्थ मिनिस्ट्री करती है, स्टेट गवर्नमेंट्स करती है। वहां से वे आती हैं और जितनी दवाइयों को हमें पहुँचाना है, जितनी दवाई जहां पहुँचनी चाहिए, उस के लिए बाकायदा मोनीटोरिंग दिया जाता है और इसके

[श्री दलबीर सिंह]

लिए एक मोनीटोरिंग सैल है। हफ्तेवार रिपोर्ट आती है कि कहां पर कमी है और जहां पर कमी होती है, एकदम मैनूफैक्चरर को कहा जाता है कि तुम वहां पर दवाई भेजो और मैनूफैक्चरर उस को कम्पलाई विद करता है। तो यह सारा सिस्टम है और हम पूरी तरह से मापतोल करके इसको आगे चलाते हैं। पासवान जी हर बात की काफी गहराई में जाते हैं। मैं इनको बतलाना चाहता हूँ कि पिछले सालों में दवाइयों का उत्पादन, अगर हम फीगर्स को देखें, बढ़ा है और बहुत सी जगहों पर थोड़ा बहुत डिफ़िशियेंसी भी कहीं-कहीं पर हुआ है और उसका सब से बड़ा कारण लेबर ट्रबल है और दूसरी कई चीजें बीच में आ जाती हैं, जिनकी वजह से उत्पादन में कमी आ जाती है। जहां पर उत्पादन में कमी आती है लेबर ट्रबल्स वर्ग रह से उसके लिए भी हम कोशिश करते हैं। सीबागीगी कम्पनी, जो बम्बई में है, से मिनिस्टर साहब ने बात की है और जो डिस्प्यूट है, उस को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उत्पादन को कायम रखने के लिए पूरी तरह से कोशिश की जाती है। मैं नहीं समझता कि लाइफ-सेविंग ड्रग्स की मार्केट में कोई कमी है। यह हो सकता है कि एक दवा जो लोग आम तौर पर खाने के आदी हो गए हों, इसलिए डाक्टर भी उसी दवा को प्रिस्क्राइब करते हों, लेकिन उसके बदले में दूसरी दवाई तो बाजार में मिलती ही है। इसलिए यह नहीं कहना चाहिए कि वही दवाई होनी चाहिए, बल्कि दूसरी दवा भी ठीक काम करती है।

असेंशियल ड्रग्स करीब 80 हैं। वैसे वलंट हैल्थ आर्गनाइजेशन या हैल्थ मिनिस्ट्री

ने लाइफ सेविंग ड्रग्स की कोई खास फहरिस्त नहीं दी, लेकिन ये जो 80 के करीब दवाइयाँ हैं, इनके प्रोडक्शन को सरकार मानीटर करती है। हर तरह से विजिलेंट रहकर प्रोडक्शन को एक्सीलरेट भी करते हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि इसमें अब और कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है।

इसी प्रकार से मल्टी नेशनल के बारे में कई बार बात चलाई जाती है कि इनका प्रभाव प्रोडक्शन पर पड़ता है। इनके लिए एक पैरामीटर बना हुआ है और उसी के तहत मल्टीनेशनल को काम करना होता है, इसलिए इन सारी चीजों पर सरकार की नजर है और ऐसा कोई प्रभाव इनका नहीं है।

सभापति महोदय : आपने बताया है कि अपने देश में उत्पादन बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ-साथ इम्पोर्ट कितना बढ़ा है? दूसरी बात यह है कि मल्टीनेशनल की बात आप कर रहे हैं क्या यह फैक्ट है कि 133 फार्मूलेशन ऐसे हैं जो उनके अपने देश में तो प्रतिबंधित हैं, लेकिन हमारे यहां उनके जरिए इम्पोर्ट किया जाता है? कोई बात नहीं, आप इस पर विचार कीजिये।

श्री राम विलास पासवान : सभापति महोदय, मैंने एक प्रश्न पूछा था कि सी० पी० सी० ने एक चीज बिदेश से 70 डालर में खरीदी और वही चीज स्माल स्केल इन्डस्ट्रीज ने 52 डालर में खरीदी। इतना अन्तर कैसे हुआ? क्या यह सरकार की छूट नहीं है?

SHRI DALBIR SINGH : इसको भी देख लेंगे।

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, इसी महीने की 11 तारीख को जो जवाब हुआ, उसमें लिखा है कि 1979-80 के बजट में 17 दवाइयों पर इम्पोर्ट ड्यूटी एग्जम्पशन दिया गया था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि जब इन 17 दवाइयों पर इम्पोर्ट एग्जम्पशन दिया गया था तो 4 दवाइयों पर पिछले महीने की 27 तारीख को वह एग्जम्पशन कैसे हटा लिया गया? एक तो यह सीरियस चीज है और दूसरी बात यह है कि हाउस चल रहा है और हाउस के चलते हुए आपने नोटिफिकेशन बाहर किया है। हाउस में बताए बगैर। बजट में एग्जम्पशन दिया है और अब उसको वापिस ले लिया, हाउस के चलते हुए। इसके लिए हाउस को कान्फिडेंस में लेना चाहिए था। सबसे पहला मेरा सीरियस आब्जेक्शन यही है।

दूसरी बात यह है कि कुछ विदेशी कम्पनियाँ हैं जिनका श्री राम विलास जी ने भी जिक्र किया है। एक पार्क डेविस है और दूसरी बोहरिंगर नौल लिमिटेड बगैरह हैं। क्या इनको लाभ पहुँचाने के लिए तो आप यह काम नहीं कर रहे हैं? फारेन कम्पनियों को यहां की व्यूरोक्रेसी कहीं ऐसा तो नहीं है कि ज्यादा ही कमाने देना चाहती है? इसका नतीजा क्या हुआ है? आपने नोटिफिकेशन किया है। चार दवाइयों में से मैं केवल एक दो का जिक्र करना चाहता हूँ। एक दवाई ऐसी है जो टी० बी० में काम आती है। भारत में टी० बी० के बहुत ज्यादा मरीज हैं। यह दवाई दो तरीके से तैयार हो सकती है। एक एल वेस से तैयार हो सकती है। उसमें छोटी इंडस्ट्री भी इसे बना सकती है। एक लाख का प्लांट भी बना सकता है। लेकिन जो वैनजेलरेहाइड है

इसको विदेशी कम्पनी ही बना सकती है या वह कम्पनी बना सकती है जिसके पास दो करोड़ का प्लांट हो। एग्जम्पशन को आपने हटाया है इसका नतीजा यह हुआ है कि एल वेस की कम्पनियाँ बिल्कुल खत्म हो गई हैं। इसी तरह से दूसरी दवाई निमोनिबे में इस्तेमाल होती है। एक और दवाई है जो टाइफाइड में इस्तेमाल होती है। मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहता हूँ। आपने जो एग्जम्पशन दिया है उसके तीन नतीजे निकले हैं। पहला यह कि लाइफ-सेविंग ड्रग्स महंगी होंगी, दूसरा यह कि विदेशी कम्पनियों को फायदा होगा और तीसरा यह कि मेरी अपनी स्टेट में कम से कम तीस फैक्ट्रीज जो स्माल स्केल की हैं और जो फरीदाबाद और बहादुरगढ़ में हैं वे बन्द हो गई हैं या होने वाली हैं, क्या यह सच है? मैं इन सब बातों का जवाब चाहता हूँ।

श्री कमला मिश्र मधुकर : (मोतीहारी): मन्त्री महोदय का जवाब सुन कर मुझे भोजपुरी की एक कहावत याद आ गई है। अपने मुँह मियां मिट्टू। अपनी बड़ाई उन्होंने स्वयं कर दी है, अपने मुँह से कर दी है। राम विलास जी ने जो प्रश्न उठाए थे उनका उन्होंने संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया है। उनको उन्होंने टाल दिया है। मन्त्री महोदय ने अपने उत्तर में यह कहा था कि गुआनी-डाइन हाईड्रोक्लोराइड, डी2 एमीनोब्यू-टानाल, डी2 फिनाइल ग्लाइसीन आदि पर जो एग्जम्पशन अस्सी प्रतिशत दी गई थी वह क्यों दी गई थी और अब उसको क्यों हटा लिया गया है? क्या इसका नतीजा यह तो नहीं होगा कि मल्टीनैशनल कम्पनियों को इससे फायदा होगा। आप तो जानते ही हैं कि इस उद्योग में पाँच पैसे लगा कर एक रुपया कमाया जाता है। मुनाफे का इस

[श्री कमला मिश्र मधुकर]

उद्योग में कोई हिसाब-किताब नहीं है। दो दो सौ प्रतिशत मुनाफा इस उद्योग में होता है। मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो एग्जम्पशन थी इसको आपने विदड़ा किया है क्या यह आत्मनिर्भरता की दिशा में सही कदम है या गलत कदम है? क्या ड्यूटी या कीमतें बढ़ने से बेकारी की समस्या बढ़ने जा रही है, स्मॉलिंग बढ़ने जा रही है या नहीं? क्या उससे विदेशी मुद्रा का भी हनन तो नहीं होगा?

मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि उद्योग विभाग में जो बड़ी गड़बड़ी चल रही है जिसकी चर्चा श्री राम विलास जी ने की है, सी. पी. सी. की बात की है, उस कुरप्शन को दूर करने की दिशा में आप कोई कार्रवाई करने जा रहे हैं या नहीं?

आई. डी. पी. एल का मुजफ्फरपुर में एक कारखाना है। रिपोर्ट यह है कि वह बन्द होने जा रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि अव्यवस्था के कारण वह बन्द होने जा रहा है या उसको जो सामग्री चाहिए वह उपलब्ध नहीं की जा रही है इस वास्ते वह बन्द होने जा रहा है? रा-मैटीरियल की वजह से है। तो आई० डी० पी० एल०, मुजफ्फरपुर चलता रहे, उसकी रा-मैटीरियल की दिक्कत दूर करने के लिए आप कोई कदम उठा रहे हैं कि नहीं? क्या सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ताकि मल्टी नेशनल का अभी जो एकछत्र राज है वह समाप्त हो जाय? देश दवाई उद्योग में आत्म-निर्भर बन जाय इसकी कोई टाइम लिमिट आपने मुकर्रर की है? क्या आप यह भी सोच रहे हैं कि देश में जो अंग्रेजी पद्धति की दवायें हैं उनकी जगह पर देशी दवाओं को, जैसे आयुर्वेद और होम्योपैथी को विकसित करने और उनका उत्पादन

बढ़ाने के लिये कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं कि नहीं? आपने कोई समय निर्धारित किया है जिसके अन्दर साधारण आदमी को दवायें सस्ती दर पर मिल सकें? अभी आम किसान और मजदूर दवाओं के दाम अधिक होने की वजह से खरीद नहीं पाते हैं और लोग मरते हैं। इसलिए उनकी आर्थिक सीमा के अन्दर दवाओं का दाम तय करके उन्हें आसानी से मुहैया करा सकें, इस बारे में आपकी कोई योजना है?

इन सब मेरे सवालों का मन्त्री जी जवाब दें।

SHRI SUDHIR GIRI (Contai) :
MR. Chairman, there are many questions involved with the drugs manufacturers in India. Their need in India is great no doubt. It is a humanitarian problem and every government should provide at least medicines to those who can afford to purchase them. I cannot imagine from the present Government that it would supply medicines to all the people free of cost, but those who can at least afford to purchase medicines should be given these medicines. This is the basic condition for the Government to exist.

When we go to purchase a particular brand of medicine, the shop-keeper says that that would cost much more. When we ask him why, he says, all these medicines have to be purchased through the blackmarket and he has to pay a good deal of money. So, he has to chagre more.

There had been so many discussions in this House and the Hon. Minister and the Government had already replied to many questions regarding shortage and said that it would be done away with, multi-nationals would be given a go-by, the required medicines would be manufactured indigenously and how many medicines

would be imported from abroad. All these things have been discussed in this House. But all the questions centre around one problem and that is the distribution problem. I know the present Government would not do away with the multi-national, who is doing a big business in pharmaceutical industry. But may I put a question to the Government? I want to know whether all the medicines from the manufacturers, whether they are indigenous or of multi-nationals, could not be supplied to the States, to the hospitals and to the people through a proper distribution system so that those medicines can be purchased by the people who can afford to purchase them? My simple question is this.

MR. CHAIRMAN: I think the Minister is sufficiently intelligent to catch your question.

SHRI SUDHIR GIRI: My second part of the question is this. Bengal Immunity has suggested manufacture of ampicillin. This is a Central Government Undertaking. Would the Minister kindly permit this concern to produce ampicillin medicine which they want to produce?

18.00 hrs.

PROF. RUP CHAND PAL (Hooghly): In view of what has already been stated by the Hon. Members as well as by you, I am asking the Hon. Member specific questions. All these things came before the Hathi Committee. And the Hathi Committee had recommended certain things like take-over of foreign firms, a phased introduction of generic products and helping the small sector by asking the large manufacturers, many of whom were exceeding their licensed output, to channel their bulk drugs to smaller firms for formulation. What is the reaction of the Government to these recommendations? The Janata Government had stated its reaction earlier but we do not know their reaction yet.

What about IDPL which was started in 1961 with the specific purpose of extricating ourselves from the colonialism of foreign firms in the matter of drugs, and for achieving more independence with regard to our medicines?

The multinationals are looting our country. The retired bureaucrats of our country are sometimes offered the post of Managing Director. How many such Managing Directors are there, who, after retirement from Government service, are working there in the interest of the multinationals and exert their influence to loot our people by raising the price of medicines and supply of drugs?

श्री दलबीर सिंह : ड्यूटी के बारे में जो कहा, वह ड्यूटी तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने लगाई है, उस विषय में मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन,

श्री सूरज भान : यदि उस एक्सटेंशन को रैस्टोर कर दें तो मामला खत्म हो जाता है ।

SHRI DALBIR SINGH: Regarding L-Base, the position is like this. L-Base is an intermediate for chloramphenicol powder and presently it appears in Appendix 5 and Appendix 26 of the ITC Policy 1981-82. L-Base was enjoying a concessional rate of Customs Duty till November 26, 1981. However, on 27th Nov., 1981, the concessional rate of customs duty on L-Base was withdrawn for the following reasons:

There are two basic stage manufacturers of chloramphenicol powder in the country. Government is trying to encourage manufacture of this drug in the country from basic stages. The sale price of chloramphenicol powder has been fixed by Government at Rs. 622/- per kg. on the basis of production from basic stage. The price of connected formulations is also

[श्री दलबीर सिंह]

based on this. This is with regard to L.-Base.

श्री कमला मिश्र मधुकर : मन्त्री महोदय बताएं कि ड्रूटी क्यों बढ़ाई और उसके बढ़ाने से स्माल-स्केल इंडस्ट्री को घाटा हुआ या फायदा हुआ ।

सभापति महोदय : अगर मैंने ठीक समझा है, तो उनका कहना है कि वह फिनांस मिनिस्ट्री ने किया है और चूंकि फिनांस मिनिस्ट्री से उनकी बातचीत नहीं हुई है, इसलिए वह तफसील में नहीं जा सकते ।

SHRI SURAJ BHAN: They have increased it without taking the House into confidence.

श्री दलबीर सिंह : श्री मधुकर ने मल्टी-नेशनलज के बारे में अपनी एलीगेंसज फिर दोहराई हैं ।

सभापति महोदय : उन्होंने आयुर्वेद के बारे में भी कहा है ।

श्री दलबीर सिंह : यह एक अच्छा सजेसन है । अगर यूनानी और आयुर्वेद को प्रोत्साहन मिले, तो हमारे देश के लिए बड़ी अच्छी बात है । उन्होंने अच्छा सुझाव दिया है ।

Shri Sudhir Giri has raised the question of price. The prices of drugs remained frozen from March, 1978 till August, 1980. There was no increase during this period. Therefore, the policy of the Government in allowing revisions in prices connected with changes in costs is to help the industry to produce and make available bulk drugs and for-

mulations in large quantities and also to generate sufficient surpluses for the purpose of export. This is the reason why for a such a long time they have not been able to increase the price. The Hathi Committee Report was examined and another DPCO was issued after 1979. After that the price revision is going on.

The BICP goes into the details of everything and on the recommendation of the BICP we are revising the prices, wherever necessary. In some cases, the prices are decreased.

So far as the question of distribution is concerned, the present system is very satisfactory. What else can we do in the present conditions? We are increasing production. Wherever there is no production or inadequate production we are importing. We are satisfying our requirements by imports, where the domestic production is not sufficient. We can say that the pharmaceutical industry in India is now in a very sound position. It is a most modern industry. I do not agree with the suggestion that the present system of distribution is not satisfactory.

So far as the multi-nationals are concerned, we are aware of their activities in all respects—with regard to the issue of licences, way of working and declaration of profits. In fact, everything is gone into thoroughly. At every stage, vigilance and check are kept. There is no lacuna in that. I can say that the multi-nationals are working within the framework of the policy of the Government, observing the restrictions, imposed on them, thus subserving the national interest.

So far as the other minor allegations are concerned, we will go into them.